

दिनांक

आज्ञा पत्र

10.4.23

श्रावणी पेश। वकील अपीलाट ने उपास्थित हाकरा
जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः
अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील
अपीलाट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे
अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है।
फलस्वरूप अपील अपीलाट नोट प्रेस में खारिज की
जाती है निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। प्रकरण
सत शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब
अपील दाखिल दफ्तार हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प कुन्डार)

Not press

24
10.4.23

